संख्या-50/2015/1299/60-1-15-1/13(36)/15

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कानपुर लखनऊ, चित्रकूट, बरेली, मुरादाबाद,
बस्ती, देवीपाटन (गोण्डा), आगरा, फैजाबाद,
झॉसी, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर,
आजमगढ. सहारनपुर, मिर्जापुर एवं अलीगढ ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांकः 21 अगस्त, 2015**

विषयः- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2007 के अन्तर्गत 'बालमित्र ' के चयन के संबंध में।

महोदय,

किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम-2000 में राज्य सरकार को इन बच्चों को ग्रहण करने तथा आवासीय देखरेख प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में स्वयं सेवी संगठनों के सहयोग से या अपने आप बाल गृहों की स्थापना के लिए अधिकार दिया गया है। तदनुसार किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत बाल गृहो/आश्रय गृहों/खुले आश्रय गृहो/सम्प्रेक्षण गृहों/विशेष गृहों में संवासी आवासित है। बच्चों के संरक्षण एवं उनकी स्थिति में सुधार सुनिश्चित करने में ये गृह इन बच्चों को घर से दूर एक घर और व्यापक बाल देखरेख सुविधाये प्रदान करते है, ताकि उनका बहु मुखी विकास सुनिश्चित किया जा सके। इन गृहों में बच्चों की क्षमताओं और कौशलों को बढ़ाने तथा मुख्य धारा के समाज में पुनः समेकित एवं पुर्नवास की सुविधा के दृष्टिगत बच्चों को भोजन, वस्त्र, आवास के साथ-साथ शिक्षा, मनोरंजन, परामर्श, मार्गदर्शन तथा रेफरल सेवा भी प्रदान की जाती है।

2- किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अधीन प्रकाशित नियमावली 2007 के नियम-94 में "खुलापन और पारदर्शिता ' के अन्तर्गत प्राविधानित है कि:-

(1) समस्त बाल गृहों को प्रभारी अधिकारी को अनुमति से आगुन्तकों के लिए खोला जाएगा और समिति या प्रभारी अधिकारी स्थानीय स्वशासन के

.....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रतिनिधियों, स्वैच्छिक संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, अनुसंधानकर्ताओं, चिकित्सकों, शिक्षाविदों, प्रख्यात व्यक्तियों, मीडिया तथा किन्हीं अन्य व्यक्तियों को आगुन्तकों के रूप में अनुमति देने पर विचार कर सकती है, जैसा प्रभारी अधिकारी बच्चों की सुरक्षा, कल्याण और हित का समुचित ध्यान रखते हुए उचित समझे।

(2) यदि स्थानीय समाज के सदस्य संस्था में सेवा करना चाहते हों या वे अपनी विशेषज्ञताओं के माध्यम से संस्था में योगदान देना चाहते हों, तो इन गृहो के प्रभारी अधिकारी इन गृहों की स्थितियों मे सुधार करने के लिए स्थानीय समाज की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करेगें।

(3) प्रभारी अधिकारी आगन्तुकों संबंधी पुस्तिका रखेगें तथा इस पुस्तिका में आगन्तुकों द्वारा दी गयी टिप्पणियों पर सलाहकार निरीक्षणकर्ता प्राधिकारी द्वारा विचार किया जायेगा।

(4) किसी संस्था का दौरा करते समय आगन्तुकों द्वारा न ऐसा कुछ कहा जायेगा या न ऐसा कुछ किया जायेगा, जो प्रभारी अधिकारी के प्राधिकार को क्षति पॅहुचाता हो या जिससे इस अधिनियम या नियमों का उल्लंघन होता हों या बालको की गरिमा को ठेस पॅहुचाती हों।

(5) आगन्तुकों को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से प्रेक्षण गृहों और विशेष गृहों का दौरा करने की अनुमति दी जा सकेगी।

यद्यपि कि उक्त अधिनियम, 2000 के अधीन स्थापित समस्त बाल गृहों, आश्रय गृहों, खुले आश्रय गृहों, सम्प्रेक्षण गृहों, विशेष गृहों में आवासित सभी बच्चों के लिए प्रमुख पहलो/सेवाओं को आई0सी0पी0एस0 में शामिल करने के प्रयास किये गये है, फिर भी आवश्यकता आधारित कार्यक्रमों के महत्व को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उक्त नियामवाली-2007 के उपरलिखित नियम-94 में उल्लिखित आगन्तुक शब्द से अभिप्रेत होकर 'बालमित्र' की अवधारणा स्थापित कर उक्त नियम के अनुसार बालमित्रों को चिन्हित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- बाल मित्र का चयन, पात्रता/सामान्य निर्देश

(1) बाल मित्र के चयन हेतु पात्रता का निर्धारण उपरिलिखित नियम-94(1) के अनुसार किया जायेगा। नियमानुसार चयनित ऐसे स्थानीय सेवानिवृत्त / सेवारत अधिकारी/कर्मचारी एवं चिकित्सक/शिक्षक/विद्यार्थीगण/उद्योगपति/

.....3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

स्वैच्छिक संगठन /संस्था/सामाजिक कार्यकर्ता होगें जो स्वैच्छिक सेवा में रूचि रखते हो एवं इस हेतु स्थानीय समाज की सक्रिय भागदारी के रूप में अपना सहयोग प्रदान करना चाहतें हो, को बालमित्र के रूप में चिन्हित किया जायेगा। चयनित बालमित्र को संलग्न प्रारूपानुसार बालमित्र पहचान पत्र आबंटित किया जायेगा।

(2) बालमित्रों का चयन सम्बन्धित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेग।

चयनित बालमित्रों को सम्बन्धित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से कम से कम एक वर्ष के लिए संलग्न प्रारूप के अनुसार "बालमित्र पहचानपत्र" निर्गत किया जायेगा।

बाल मित्र पहचान पत्र निर्गत किये जाने से पूर्व सम्बन्धित व्यक्ति के अपराधिक विवरण का सत्यापन किया जाये, जिससे कार्ड की गरिमा बनी रहे तथा इसका गलत प्रयोग न हो।

किसी बालमित्र के 'संतोषजनक' कार्य के फलस्वरूप बालमित्र पहचान पत्र का नवीनीकरण किया जा सकता है । नवीनीकरण हेतु जिला मजिस्ट्रेट का अनुमोदन अनिवार्य होगा। सम्बन्धित जनपद में बालमित्रों की अधिकतम संख्या 10 होगी।

(3) चयनित बालमित्रों द्वारा उपरिलिखित व्यवस्था के अनुसार गृहों के लिए जो भी योगदान/सेवाकार्य किया जायेगा, उसके संबंध में उन्हें कोई भी शुल्क/कोई धनराशि देय नही होगी। यह सेवा पूर्णतया स्वैच्छिक होगी।

(4) चयनित बालमित्र द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2007 के संगत नियम का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उक्त नियम-2007 के नियम-94 (1) (5) के अनुसार बालमित्रों को सक्षम प्राधिकारी (जिलाधिकारी/जिला परिवीक्षा अधिकारी) की अनुमति से ही सम्प्रेक्षण गृहों और विशेष गृहों का दौरा करने की अनुमति दी जा सकेगी। यदि किसी बालमित्र के द्वारा सम्प्रेक्षण गृह एवं विशेष गृह में संवासियों के लिए किसी प्रकार का कोई शिक्षण/प्रशिक्षण एवं अन्य उपयोगी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, तो पूर्व निश्चित तिथियों एवं समयावधि के लिए एक साथ अनुमति प्रदान की जायेगी।

(6) बालमित्र को किसी भी संस्था में किसी भी परिस्थिति में रात्रि निवास की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

.....4

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- किसी भी ऐसे व्यक्ति/संस्था/संगठन को बालमित्र बनाने पर विचार नहीं किया जायेगा, जो -

(1) पूर्व में दोषसिद्ध हो चुका हो, मानवाधिकार या बाल अधिकार के उल्लंघन में लिप्त पाया गया हो अथवा किसी दोष में आरोपित हो।

(2) किसी अनैतिक कार्य अथवा बाल उत्पीड़न के कार्य अथवा बालश्रमिक के नियोजन में अन्तर्वलित रहा हो।

(3) जनहित में जिसे बालमित्र का दायित्व का सौपा जाना उचित न हो

5- बालमित्र को कर्तव्य विमुक्त किया जाना:-

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा "बालमित्र ' को निम्न कृत्यों में संलिप्त पाये जाने/होने के दृष्टिगत उन्हें बालमित्र के कर्तव्य से तत्काल दायित्व मुक्त कर दिया जायेगा:-

(1) वह उक्त किशोर न्याय (बालको की देखरेख और सरंक्षण) अधिनियम-2000 एवं किशोर न्याय (बालको की देखरेख और सरंक्षण) नियम-2007 में उल्लिखित प्राविधानों के उल्लंघन का दोषी पाया जाए।

(2) अस्वस्थ मस्तिष्क या विकृतचित्त का हो अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया हो।

(3) अपने पद का ऐसा दुरूपयोग करता है, जिससे उसका बाल मित्र के रूप में बने रहना बालहित/लोकहित के लिये हानिकारक हो ।

(4) किसी ऐसे अपराध के लिये प्राथमिकी दर्ज हो, आरोपित हो, सिद्धदोष ठहराया गया हो और कारावास से दण्डादिष्ट किया जाता है, जिसमें सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है।

6- बालमित्रों की सक्रिय भागीदारी/योगदान के बिन्दु:-

(1) बालगृहों में बालकों के लिये, बालकों के अनुकूल वातावरण बनाने मे सहयोग प्रदान करना।

(2) बालगृहों में बालकों को सुरक्षात्मक तथा प्रेरक परिवेश बनाने और उन्हें प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में अपने सुझावों से जिला प्रशासन/निदेशालय, महिला कल्याण/महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, को अवगत कराना तथा साथ ही अनुकूल व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग प्रदान करना।

(3) जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में जिला परिवीक्षा अधिकारी बालमित्र की सहायता से स्थानीय स्तर पर आयोजित की जाने वाली अन्तस्कूलीय /अन्तमहाविद्यालयीय प्रतिस्पर्धाओं में बाल गृहों के बच्चों को भाग लेने के

.....5

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लिए प्रोत्साहित करेगें एवं भाग लेने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र एवं प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कार दिये जायेगें।

(4) गृहों में साप्ताहिक बाल दिवस का आयोजन कराना जिसके अन्तर्गत गृह में प्रत्येक शनिवार को पूरे दिन का बाल दिवस कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा। यदि किन्ही कारणोवश शनिवार को उक्त बाल दिवस का आयोजन सम्पन्न नहीं हो पाता है, तो उसे रविवार को आयोजित किया जायेगा। बाल दिवस के दिन स्वैच्छिया अपनी सेवा अर्पित करने के इच्छुक व्यक्तियों को जिला मजिस्ट्रेट/जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अनुमति दी जा सकती है।

(5) आयोजित बाल दिवस में बालकों के लिए ऐसी ललितकला प्रतियोगिताओं एवं खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा जिसके माध्यम से उन्हें अपनी प्रतिभा को ड्राईंग, हैण्डीक्राफ्टस, नाटक, मिमिक्री, डान्स, गायन व भाषण आदि के माध्यम से प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हों। विशेष प्रतिभावान बच्चों को चिन्हित कर बाल दिवस (14 नवम्बर) पर पुरस्कृत किये जाने मंे भी सहयोग प्रदान किया जायेगा।

(6) बालमित्र द्वारा विशेष प्रतिभावान बच्चों को चिन्हित कर उनकी इस प्रतिभा को विशेष प्रशिक्षण/कोचिंग के माध्यम से विकसित कर उनके व्यक्तित्व का समुचित विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। यदि कोई इच्छुक बालमित्र इस प्रकार के बच्चों को स्पान्सर करना चाहते है तो उन्हें इस हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता है।

(7) i. यदि किसी चिकित्सक/चिकित्सक समूह को बालमित्र के रूप में चिन्हित कर बालमित्र पहचान पत्र दिया गया है तो ऐसे 'इच्छुक बालमित्र चिकित्सक ' द्वारा हेल्थ कैम्प का आयोजन किया जा सकता है। शनिवार/रविवार के दिन जो कम से कम सप्ताह में एक बार अथवा अनिवार्य रूप से 15 दिन में एक बार होगा, गृहों/संस्थाओं का भ्रमण करेगें एवं प्रत्यके संवासी का निर्धारित संलग्न प्रारूप पर स्वास्थ्य कार्ड बनवाने, स्वास्थ्य कार्ड में चिकित्सकीय परीक्षण एवं परामर्श का अंकन करने, आकस्मिकता पडने पर आकस्मिक चिकित्सकीय परामर्श एवं सेवाएं उपलध कराने में बहू मुल्य योगदान कर सकेगें। चिकित्सकीय परामर्शानुसार आवश्यकता पडने पर सम्बन्धित जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा दवाएं उपलब्ध करायी जायेगी।

ii. बालमित्र के सहायोग से संवासियों के लिए निर्धारित प्रारूप पर बनाये जाने वाले स्वास्थ्य कार्ड के मुद्रण का दायित्व जिला परिवीक्षा अधिकारी का होगा।

.....6

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

iii. आॅन काल एवं इमरजेन्सी सेवाओं को प्रदान करने के लिए जो बालमित्र इच्छुक होगें ऐसे बालमित्र चिकित्सकों से सम्बन्धित सभी विवरण यथा नाम/पता/फोन नम्बर/रोग-विशेषज्ञता आदि के विवरण का संस्था/गृह के नोटिस बोर्ड पर अंकन किया जायेगा, ताकि आकस्मिक आवश्यकता पडने पर तत्काल चिकित्सकीय परामर्श/सुविधा सम्बन्धित को उपलब्ध कराया जा सके।

iv.. ऐसे निजी अस्पताल/नर्सिंग होम जो संस्थाओं/गृहों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा एवं सेवाएं उपलब्ध कराना चाहते हैं, उनके द्वारा ऐसे निजी अस्पतालों/नर्सिंग होम का विवरण भी संस्थाओं के नोटिस बोर्ड पर अंकित किया जायेगा।

(8) रोजगार प्रशिक्षण प्रोग्राम में का आयोजन कराना- राजकीय एवं स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित बाल गृहों/आश्रय गृहों/खुले आश्रय गृहों में आवासित बच्चों के व्यवसायिक प्रशिक्षण हे राजकीय संस्थानों यथा- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0), खादी आश्रम, खाद्य संरक्षण, हथकरघा विभाग एवं कौशल सुधार कार्यक्रम तथा स्वैच्छिक संगठनों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से सम्पर्क एवं समन्वय स्थापित कर नवीनतम टेªडों में प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन एवं सेवायोजन आदि में विभागों से बालगृहों में आवासीय बालकों के लिये उनके आयुवर्ग के अनुसार रोजगार प्रशिक्षण दिलाने साथ ही प्रशिक्षण उपरान्त प्रमाण पत्र प्रदान कराने में सहयोग प्रदान करना।

उपरोक्त के अतिरिक्त यदि कोई इच्छुक बालमित्र इन गृहों के बच्चों के लिए विशेष कलाओं/संगीत/गायन इत्यादि पर किसी प्रकार का कोई प्रशिक्षण/कक्षा का आयोजन करना चाहते है तो उसका आयोजन प्रत्येक दिवस अथवा सप्ताह में तीन या चार दिन एक निश्चित समयावधि निर्धारित कर प्रशिक्षण/कक्षा का आयोजन कर सकते है। यह अवधि सांय काल अधिकतम 02 घंटे की अवधि का हो सकता है, जो ग्रीष्म काल में सांय 05 से 07 बजे के मध्य एवं शीत काल में सांय 04.ः00 से 06ः00 के मध्य आयोजित हो सकता है।

(9) सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन- राष्ट्रीय पर्वो पर बालगृहों में 3 घण्टे (सुबह 9 बजे से 12 बजे) सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराने में सहयोगप्रदान करना साथ ही ऐसे अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में आम शहरियों से बालगृहों में बालकों का साक्षात्कार कराना।

.....7

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(10) स्पोर्टस् आॅवर का आयोजन कराना- बालगृह में प्रत्येक दिवस प्रातः (सुबह 06ः30 बजे से 8ः00 बजे) 'स्पोर्ट आॅवर' का आयोजन किया जायेगा जिसमें बालकों के लिये खेल, शारीरिक व्यायाम एवं योग का आयोजन कराने में सहयोग प्रदान करना/कराना।

(11) शिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कराना- बेसिक शिक्षा विभाग व माध्यमिक शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित कर बाहर के स्कूलों में बाल गृहों के बालकों की औपचारिक शिक्षा हेतु प्रवेशित कराने में सहयोग करना तथा बच्चों की शिक्षा के स्तर में विकास का निरंतर परीक्षण किये जाने के कार्य करना।

(12) राजकीय सम्प्रेक्षण गृह/विशेष गृह में निरूद्ध किशोर/किशोरी की शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण में संसाधन उपलब्ध कराने के संबंध में स्वैच्छिक संगठन, शिक्षण संस्थान, व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करना तथा उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना।

(13) विशेष किशोर पुलिस इकाई अथवा बाल कल्याण अधिकारी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर पीड़ित बालक/बालिका अथवा उनके अभिभावक के सामाजिक अन्वेषण हेतु बालमित्र. द्वारा सहयोग प्रदान करना।

(14) संस्थागत देखरेख में बच्चों के साथ किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक शोषण न हो इस हेतु चयनित बालमित्रों के द्वारा गृहों में बालकों के लिये संबंधित विभाग द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं का निरीक्षण किया जायेगा, साथ ही अपनी आख्या जिला प्रशासन या निदेशालय, महिला कल्याण उ0प्र0 या उत्तर प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

(15) बालमित्रों की गृहों में आयोजित शिक्षण, प्रशिक्षण, स्पोर्ट, सप्ताहिक बाल दिवस, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं संबंधित पत्रावली के रखरखाव में सम्बन्धित गृह के अधीक्षक द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा।

(16) बालगृह में शिक्षण, प्रशिक्षण, स्पोर्ट, सप्ताहिक बाल दिवस, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु आवश्यक स्थान एवं वांछित सामग्री की व्यवस्था कराने का दायित्व जिला बालमित्रों के स्वंय का होगा।

(17) बालमित्रों द्वारा चिन्हित प्रतिभावान बालकों को पुरस्कृत कराने का दायित्व जिला बाल कल्याण अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी का होगा जिसमें बालमित्र सहयोग प्रदान करेंगे।

(18) बालमित्र अधिक से अधिक सामाजिक कार्यकर्ताओं/स्वैच्छिक संस्थाओं को बालगृहों से जुड़ने के लिये प्रोत्साहित करेंगे।

.....8

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(19) बालमित्र द्वारा गृह में संवासित बच्चों को गृह अधीक्षक की सहमति से शैक्षणिक यात्राएं जैसे साइंस सेण्टर, प्लेनेटेरियम, जू व मनोरंजन यात्राएं जैसे फिल्म या पार्कों की यात्राएं आयोजित करने में मदद करेंगे।

(20) ऐसे बाल मित्र जिन्हें संरक्षण गृहों में उपयुक्त माहौल के सृजन एवं उसकों और बेहतर बनाने के लिये जिनकों कानून की पर्याप्त जानकारी हो उन्हें बालकों की पैरवी में मदद करनी होगी जिससे बालकों की जमानत होने में सुविधा हो और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं सुरक्षा) अधिनियम 2000 के अनुसार 04 माह के भीतर मामलों का निस्तारण सहज हो सके।

7- जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित बालमित्रों के संस्थाओं/गृहों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के दृष्टिगत बाल दिवस के दिन (14 नवम्बर) Recognition-Certificate प्रदान किया जा सकता है।

8- सम्बन्धित जिले के जिला परिवीक्षा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि प्रश्नगत शासनादेश का जनपद में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। विभाग के वेब साइट **www.mahilakalyan.up.nic.in/balmitra** पर जनपदवार चिन्हित बालमित्रों का नाम, पता, दूरभाष/मोबाइल नम्बर, ई-मेल, बालमित्र की विशेषज्ञता उसका विवरण (उदाहरण-चिकित्सा सेवा आदि) पर अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त वेबसाइट के बालमित्र पोर्टल में प्रत्येक राजकीय बाल गृह/आश्रय गृह /खुले आश्रय गृह/ सम्प्रेक्षण गृह/ विशेष गृह का एक वेब पेज सृजित करने का प्राविधान है। इस वेब पेज में संवासियों की प्रतिभाओं का प्रदर्शन उनके लेख, कविताओं, पेंटिग्स इत्यदि का प्रदर्शन हो सकता है। जिलाधिकारी के मार्ग दर्शन में इस वेब पेज को और विकसित किया जा सकता है एवं प्रत्येक संस्था में इस हेतु बच्चों की एक समिति भी गठित की जा सकती है।

9- उपरोक्त के दृष्टिगत कृपया अपने अपने जनपदों मंे उपरोक्तानुसार बालमित्रों का चयन करने एवं उन्हें किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम-2000 के अन्तर्गत स्थापित के अन्तर्गत बाल गृहो/आश्रय गृहों/खुले आश्रय गृहो/सम्प्रेक्षण गृहों/विशेष गृहों में कार्य करने हेतु प्रेरित करने का कष्ट करेंे, ताकि उक्त गृहों में आवासित बच्चें की जीवन शैली को और बेहतर बनाये जा सकने में समाज की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

भवदीया

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

.....9

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-50/2015/1299(1)/60-1-15, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0।

2- समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

3- समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

FRONT VIEW

BALMITRA

Name:-

Organization:-

Sex:- **Age:-**

Address:-

Date of Issue:-

BACK VIEW

This card has been issued in accordance with Sec.94(1) of Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Rule, 2007.

Sing of Card Holder:

1- यह शीर्षक [illegible]